रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22, 2009/श्रावण 31, 1931
No. 156] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22, 2009/SRAVANA 31, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अगस्त, 2009

सं. टीएएमपी/47/2005-एमओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, मुर्मगाँव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के दरमान की वैधता को 31 अक्तूबर, 2009 तक विस्तारित करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/47/2005—एमओपीटी

मुर्मगाँव पत्तन न्यास (एमओपीटी) .....आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2009 के 28वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने मुर्मगाँव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के प्रचलित दरमान को दिनांक 30 अक्तूबर, 2006 को आदेश जारी, अनुमोदित किया था। अनुमोदित दरमान की वैधता 31 मार्च, 2009 तक निर्धारित की गई थी ।

2. इस प्राधिकरण ने एमओपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को दिनांक 27 मार्च, 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/47/2005-एमओपीटी द्वारा 31 जुलाई, 2009 तक विस्तारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 57 द्वारा 13 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था ।

3. एमओपीटी ने अपने दरमान के संशोधन के लिए 23 दिसम्बर, 2003 को एक प्रस्ताव दाखिल किया है, जिस पर सामान्य परामर्श प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की गई है एमओपीटी ने, प्रस्ताव में से उभरने वाले विभिन्न बिन्दुओं पर मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण, हाल ही में प्रस्तुत किए हैं । पत्तन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं/स्पष्टीकरणों की जाँच पड़ताल की जा रही है। इसलिए, प्रकरण को अन्तिम विचार-विमर्श के लिए परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा। इसलिए, यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता 31 अक्तूबर, 2009 तक या अनुमोदित किए जाने वाले संशोधन दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है ।

4. यदि इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल, 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो वह अतिरिक्त अधिशेष, निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा ।

ब्रह्म दत्त, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th August, 2009

No. TAMP/47/2005-MOPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the Mormugao Port Trust upto 31st October, 2009 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/47/2005—MOPT

Mormugao Port Trust (MOPT) .....**Applicant**

ORDER

(Passed on this 28th day of July, 2009)

The existing Scale of Rates of the Mormugao Port Trust (MOPT) was approved by this Authority *vide* Order dated the 30th October, 2006. The validity of the approved SOR was prescribed till 31st March, 2009.

2. This Authority *vide* Order No. TAMP/47/2005-MOPT dated 27th March, 2009 extended the validity of the existing SOR of MOPT till 31st July, 2009. This Order was notified in the Gazette of India on 13th April, 2009 *vide* Gazette Notification No. 57.

3. The MOPT has filed a proposal for revision of its SOR on 23rd December, 2008 which has been processed following the usual consultation procedure. The MOPT has recently furnished additional information/clarifications requested on various points emerging from the proposal. The information/clarifications furnished by the port are being scrutinised. It may, therefore, take some more time for the case to mature for final consideration. This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR till 31st October, 2009 or till effective date of implementation of the revised Scale of Rates (to be) approved, whichever is earlier.

4. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April, 2009, during the review of its performance, such additional surplus will be set-off fully in the tariff to be determined.

BRAHM DUTT, Chairman

[ADVT III/4/143/09-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.